अ0शा0 परिपत्र संख्याः 61/2014

ए0एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ ।

दिनांकःलखनऊःसितम्बर 29 ,2014

प्रिय महोदय,

संज्ञान में आया है कि प्रायः चेकिंग के दौरान व लावारिस एवं न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों से सम्बन्धित मालों के निस्तारण में स्थानीय थाना पुलिस द्वारा कोई रूचि नहीं ली जाती है। जिसके कारण थाने पर एवं सदर मालखाने में मालों का अनावश्यक रूप से भण्डारण होता जा रहा है, यह स्थिति प्रदेश के प्रायः सभी थानों में विभिन्न प्रकार की माल मुकदमाती अनावश्यक रूप से बहुत दिनों से पड़ी रहती है, जिससे उनके खराब होने, गायब होने, नष्ट होने इत्यादि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

2. आप भिज्ञ हैं कि अधिकांश थानों में पुरानी कारें, ट्रक, रिक्शा, मोटर साईकिले एवं बाइसाइकल व अन्य सामग्री पड़े रहते है, जिसके कारण थाना परिसर में गन्दगी के साथ ही रख-रखाव हेतु स्थान की कमी भी हो रही है। मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से पूर्व में भी निर्देश निर्गत किये गये है, परन्तु ऐसा आभास होता है कि इस ओर वॉछित रूचि लेकर मालों के निस्तारण कराने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करायी जा रही है। मालों का रख-रखाव संतोषजनक न होने के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति का क्षरण हो रहा है, जबकि मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में द0प्र0सं0 की धारा 451 एवं 457 तथा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-165 से 173 में स्पष्ट रूप से प्रक्रिया उल्लिखित है।

3. मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस के रेगुलेशन के अध्याय-14 में थानों के मालखानों में रखी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने, नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं उनके निस्तारण हेतु व्यवस्था वर्णित की गयी है। धारा 451 एवं 457 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के मालों के निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये है। यह भी उल्लेखनीय है कि माल मुकदमाती को न्यायालय में प्रस्तुत करने के स्थान पर माल के स्वामी को माल स्थानांतरित किये जाने के पूर्व माल का पंचायतनामा तैयार किये जाने पर साक्ष्य में पंचनामा को मान्यता प्रदान की गयी है, ऐसे माल निम्नवत् हैः-

<u>मूल्यवान प्रतिभूतियॉ एवं कागजी मुद्राः-</u> मूल्यवान प्रतिभूतियॉ और कागजी मुद्रा के सम्बन्ध में चोरी, डकैती एवं लूट के मामलों में वादी को माल वापस करने से पूर्व- प्रतिभूत का समुचित पंचायतनामा कराकर, प्रतिभूति की फोटोग्राफी कराकर वादी से आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष वह सम्पत्ति को प्रस्तुत करने का बाण्ड व जमानत लेकर माल वापस करके निस्तारण किया जाय। ऐसे मामलों में जहॉ सम्पत्ति को वादी अथवा जिसकी अभिरक्षा से सम्पत्ति जब्त की गयी है, उसे स्थानांतरित न किया जा सकता हो, सम्पत्ति को जब्त करने के एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिसे मजिस्ट्रेट बैंक के लाकर में रखने हेतु आदेश दे सकता है, सिवाय उस समय के, जबकि उसकी विवेचक को आवश्यकता हो।

<u>वाहनः-</u> ऐसे वाहन जिसके संबध में वादी की पहचान निश्चित होने की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर वाहन को वापस प्रस्तुत करने के लिए उसके स्वामी से लिखित बाण्ड/गारण्टी/जमानत लेकर उसे वापस किये जाने हेतु वाहन का फोटो लेकर और पंचायतनामा बनाकर कार्यवाही की जानी चाहिए। वादी की पहचान न रहने की स्थिति में न्यायालय के निर्देशानुसार वाहन की बिक्री की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करने के 6 माह के भीतर बिक्री आदेश न्यायालय द्वारा निर्गत किये जाने का प्राविधान है।

शराब :- शराब के मामलों में किसी भी अभियोग में थाने पर भारी मात्रा में जब्त की गयी शराब नहीं रखी जायेगी, आवश्यकतानुसार नमूने रखे जा सकते है और उन नमूनों को रासायनिक परीक्षण हेतु तत्काल भेज दिया जाय।

मादक प्रदार्थ :- मादक पदार्थों के निस्तारण के संबंध में धारा 451 दं0प्र0सं0 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. मालों के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जायः-

थानों पर लम्बित माल का निस्तारणः- उपरोक्त मालों के अतिरिक्त अन्य मालों के निस्तारण के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जायः-

(अ) माल मुकदमातीः- जिन अभियोगों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है उनसे सम्बन्धित माल मुकदमाती सदर मालखाने में दाखिल करा दिया जाय। जिन अभियोगों में अन्तिम रिर्पोट प्रेषित की गयी है उनमें न्यायालय से शीघ्र अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत कराकर सम्बन्धित माल के निस्तारण का आदेश प्राप्त कर निस्तारण की एक अवधि सुनिश्चित कर तद्नुसार निस्तारण करा दिया जाय। जो माल मुकदमाती काफी पुराने हो चुके है उनके अभियोगों के परिणाम के संबंध में स्थिति अवश्य ज्ञात कर ली जाय। जिसके आधार पर अनावश्यक लम्बित माल मुकदमाती का निस्तारण किया जा सकें।

(ब) माल लावारिश/लादावाः- इस प्रकार के अधिकांश माल समय के साथ अपनी उपयोगिता खो देते है, जिसके कारण एक ओर राजकीय धन की हानि होती है और दूसरी ओर मालखाने में जगह का अभाव बना रहता है। इस प्रकार के लावारिश और लादावा मालों की सूची बनाकर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के माध्यम से यथाशीघ्र निलामी की प्रक्रिया के द्वारा मालो का निस्तारण कराया जाय। नीलाम किये जाने योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन सक्षम अधिकारियों द्वारा कराकर उनका मूल्य निर्धारित करा लिया जाय।

(स) कुर्कीः- प्रायः कुर्की की गयी वस्तुओं को स्थान के अभाव में थाना परिसर के खुले स्थानों में अथवा भवन के अन्य उपयोगी स्थानों में बेतरतीब रूप से रखा जाता है, यह स्थिति कतई उचित नहीं है। कुर्की से प्राप्त ऐसी वस्तुयें जिनके शीघ्र नष्ट हो जाने की सम्भावना हो, उन्हें न्यायालय का आदेश प्राप्त कर उस वस्तु को नीलाम कराकर नंकद धन के रूप में सुरक्षित किया जाय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस किया जा सकें। जिस अभियुक्त की सम्पत्ति की कुर्की की गयी है उसकी गिरफ्तारी अथवा हाजिर अदालत होने पर उसके परिवार को माल कुर्की से सम्बन्धित सभी सम्पत्तियॉ वापस कर ऐसे मालों का निस्तारण करायें।

(द) माल जामा-तलाशीः- अभियुक्तों के गिरफ्तारी के समय जामा-तलाशी से प्राप्त माल दाखिल किये जाने के उपरान्त लम्बित पड़े रहते है, माल जामा-तलाशी का निस्तारण कराने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि अभियुक्त द्वारा जामा-तलाशी के दौरान दिये गये पते पर परिवार के सदस्यों को जामा-तलाशी से प्राप्त माल को वापस करते हुए निस्तारण करायें।

सदर मालखाने के माल का निस्तारणः-

जनपदों के सदर मालखाने में पुराने मालों के लम्बित रहने एवं उनके पुराने भवनों में अतिरिक्त स्थान न होने के कारण सदर मालखानों में माल जमा कराने में कठिनाई होती है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के साथ सदर व आबकारी मालखानों का निरीक्षण करें एवं अतिरिक्त स्थान हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध करें, सदर मालखाने के मालों के निस्तारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायः-

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी व प्रभारी सदर मालखाना के माध्यम से सदर मालखाना और आबकारी मालखानों में लम्बित मालों की अलग-अलग थानावार सूची तीन-तीन प्रतियों में तैयार करायें, सूची की एक प्रति सम्बन्धित थाने पर और दूसरी प्रति पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायी जाय। थाना प्रभारी अपने थानों पर उपलब्ध सूची से मालखाना रजिस्टर में अंकित प्रत्येक माल से सम्बन्धित अभियोग के न्यायालय में विचारण की स्थिति का मिलान करें। न्यायालय द्वारा निर्णय के पश्चात यदि पर्चा फैसला प्राप्त हो चुका है तो सूची में अंकित माल के समक्ष यह अंकित कर दिया जाय कि किस न्यायालय तथा दिनांक में क्या निर्णय हुआ है।

- तत्पश्चात् सूची में अंकित माल से सम्बन्धित अन्य अभियोगों के परिणाम की जानकारी के लिए सम्बन्धित अभियोगों के अभियुक्तों से न्यायालय का नाम, निर्णय का दिनांक एवं अन्तिम परिणाम ज्ञात कर लिया जाय।
- उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् यह सूची पुलिस अधीक्षक के माध्यम से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को प्रेषित की जाय। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी इसका परीक्षण कर ऐसे सभी अभियोगों, जिनमें न्यायालय के निर्णय हो चुके हैं और कोई अपील लम्बित नहीं है, के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित करते हुए नियमानुसार प्रमाण पत्र भी दिया जाय तथा न्यायालय से आदेश प्राप्त कर एक माह के अन्दर माल का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।

5. मैं चाहूँगा कि पत्र में इंगित सभी बिन्दुओं का आप गहराई से अध्ययन कर लें और इस सम्बन्ध मे अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षकों, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, क्षेत्राधिकारियों एवं थानाध्यक्षों की होने वाली मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में स्पष्ट निर्देश दें तथा इस कार्य में क्षेत्राधिकारियों भूमिका निर्धारित करते हुए मालों का निस्तारण करायें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि जनपद स्तर पर मालखानों के रख-रखाव के सम्बन्ध में कोई लापरवाही न बरती जाय और आप अपने स्तर से थानों/मालखानों का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर लम्बित पड़े मालों का निस्तारण करायें।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
प्रभारी जनपद/एसटीएफ/रेलवेज (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन/रेलवेज, उ0प्र0 ।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवेज, उ0प्र0।